



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 31 मार्च, 2020

चैत्र 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 411/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(99)-2020

लखनऊ, 31 मार्च, 2020

अधिसूचना

प०आ०-104

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) धारा 15 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-836/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(6)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची एक - 2.5% में, क्रम-सं० 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ख) अनुसूची दो - 6% में,-

(i) क्रम-संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

75अ	36050010	सभी माल,"
-----	----------	-----------

(ii) क्रम-संख्या 202 तथा 203 और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ग) अनुसूची तीन - 9% में,-

(i) क्रम-संख्या 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेगी;

(ii) क्रम-संख्या 379 में, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी माल" को रख

दिया जाएगा;

2-यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 411/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(99)-2020, dated March 31, 2020 .

No. . 411/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(99)-2020

*Dated Lucknow, March 31, 2020*

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. KA.NI.-2-836/XI-9(47)- 17- U.P. Act-1-2017-Order- (6) -2017 dated June 30, 2017, namely:-

#### AMENDMENT

In the said notification, -

(a) in Schedule I - 2.5%, Serial number 187 and the entries relating thereto shall be *Omitted*;

(b) in Schedule II - 6%.-

(i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *inserted*, namely: -

"75A.	36050010	All goods";
-------	----------	-------------

(ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto, shall be *omitted*;

(c) in Schedule III -9%,-

(i) serial number 73 and the entries relating thereto, the following shall be *omitted*;

(ii) in serial number 379 for the entry in column (3), the entry "All goods" shall be *substituted*;

2. This notification shall be come into force on the 1<sup>st</sup> day of March, 2020.

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*